180

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव

अर्धशा० प० सं०-473/91-2013
लोक सेवा प्रबन्धन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊ: दिनांक05 दिसम्बर, 2013

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 की धारा-3 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कतिपय सेवाओं एवं उनके निस्तारण की समयसीमा तथा प्रथम तथा द्वितीय अपील के निस्तारण की समय सीमा को अधिसूचित किये जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत समस्त विभागों की 10 सेवायें, 25 विभागों की 113 सेवायें अर्थात कुल 123 सेवाओं को आच्छादित किये जाने से सम्बन्धित अधिसूचना लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग के पत्र संख्या-375/91-2013, लखनऊ दिनांक 27 नवम्बर, 2013 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

2- अतः इस सम्बन्ध में प्रश्नगत अधिसूचना दिनांकः 27 नवम्बर, 2013 की प्रति संलग्न करते हुए मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया अपने विभागों से सम्बन्धित सेवाओं को उक्त अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अनुपालन किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रगति रिपोर्ट्स निर्धारित प्रपत्र में लोक सेवा प्रबन्धन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :-यथोपरि।

भवदीय

(जावेद उस्मानी)

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अधिसूचना दिनांक 27 नवम्बर, 2013 की प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

5-12-13

(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव।